आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नांगल, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र श्रवण व दुर्गाराम का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम श्रवण कुमार है तथा कालू पुत्र बोदू एवं श्रवण पुत्र बोदू दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।	

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 135 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कालु पुत्र बोदू के बजाय श्रवण पुत्र बोदू दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner